राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई–33/नेत्र सहायक/एफ 153/2019/ दिनांकः

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक/अराज/सामान्य/2019/251 दिनांक 8.3.2019 के क्रम संख्या 67 पर अंकित श्री प्रेमप्रकाश धनवाडिया, नेत्र सहायक का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई जिला टोंक में श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता नेत्र सहायक के स्थान पर तथा श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता का स्थानान्तरण/पदस्थापन सीएचसी निवाई टोंक से राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर में श्री प्रेम प्रकाश धनवाडिया नेत्र सहायक के स्थान पर किया गया था।

श्री प्रेमप्रकाश धनवाडिया, नेत्र सहायक ने उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 794/2019 दायर की है जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 18.4.2019 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :–

"अपीलार्थी दिनांक 6.5.2019 तक प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में लोकसभा आमचुनाव –2019 की आदर्श आचार संहिता समाप्ति के 15 दिवस में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे"

श्री प्रेमप्रकाश धनवाडिया ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.4.2019 की पालना में दिनांक 2.5.2019 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हूँ एंव मेरी पत्नी भी अधिकतर बीमार रहती है तथा दो वर्ष की पुत्री है ऐसे में परिवार को सम्भालने में असहाय हो गया हूँ, अतः मेरा स्थानान्तरण निरस्त किया जावें।

क्रमश पेज 2 ......

order doc

श्री प्रेमप्रकाश धनवाडिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में पत्नी की बीमारी का उल्लेख किया गया है, परन्तु बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। वर्तमान में राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर में नेत्र सहायक का कोई पद भी रिक्त नही है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई ठोस आधार/तथ्य प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

क्रमांकःई–33/नेत्र सहायक/एफ 153/2019/157 दिनांकः 24/5/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
2. अधीक्षक राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई, टोंक।
5. श्री प्रेम प्रकाश धनवाड़िया, नेत्र सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड़।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

order doc